न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 50/2019

प्रार्थीगण :–

1. देवीसिंह पुत्र जैरूपजी
2. वगतावरसिंह पुत्र जैरूपजी
3. वीरमसिंह पुत्र जैरूपजी सभी जातियान पुरोहितान निवासीयान सराणा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भेराराम पुत्र हरीराम
2. नरायणराम पुत्र हरीराम
3. रूपाराम पुत्र हरीराम
4. मूलाराम पुत्र हरीराम
5. हनुमानराम पुत्र हरीराम
6. बगसू बेवा छोगाराम
7. बंशीलाल पुत्र छोगाराम
8. बाबुराम पुत्र छोगाराम
9. गोपाराम पुत्र छोगाराम
10. मोटाराम पुत्र छोगाराम
11. अमराराम पुत्र मोटाराम
12. मोहनलाल पुत्र केवाराम
13. घेवरचंद पुत्र केवाराम
14. हस्तीमल पुत्र केवाराम
15. प्रेमकुमार पुत्र केवाराम
16. जेठाराम पुत्र लच्छाजी
17. समदा बेवा केसाजी
18. भंवराम पुत्र भगाराम
19. बाबुलाल पुत्र भगाराम
20. मोहनलाल पुत्र भगाराम
21. शंकरलाल पुत्र भगाराम सभी जातियान माली निवासीयान बेरा साकरणा, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
22. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1 श्री कैलाश माहेश्वरी प्रार्थीगण वकील

Scanned by CamScanner

'आदेश'

दिनांक :– 3.9.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा बालोतरा प्रथम, पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम, तहसील पचपदरा खेत खसरा न0 1692/1125 रकबा 04 बीघा 02 विस्वा किस्म सोयम, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 के संयुक्त खातेदारी हक हिस्सा आया हुआ है। तहसील ।विप्रार्थीगण सख्या –1 ता 22 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 22 के खेत सेढ़ा पडौसी होने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 2.4.2019 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जो बाद तामिल के बावजूद अनुपस्थित । दिनांक 23.07.2019 को तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौके पर उभयपक्षकान के उपस्थित में मौका जांच हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट दिनांक 20.7.2020 को पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य रेकर्ड व मौके में भिन्नता है तथा मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होना बताया गया है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय की बहस को सुना गया। विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner